

## ORDER-SHEET

***The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,  
Bhopal***

**Case No.L00-10/2017**

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i>  श्रीमती शकीला बानो, बुरहानपुर	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
<b>08-06-2017</b>	<p>दिनांक 08.06.2017 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री पुष्पेन्द्र कुमार राय, कनिष्ठ यंत्री उपस्थित हुए।</p> <p>2 अनावेदक की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन पर प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई।</p> <p>3 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम एमार्गिंद में खसरा क्रमांक 501 / 1 कृषि भूमि में से दिनांक 2.11.2010 को एक प्लाट 550 वर्गफीट खरीद कर उस पर भवन निर्मित किया गया। उक्त भवन में अनावेदक द्वारा अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिया गया जिसके विद्युत देयक का भुगतान आवेदक द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।</p> <p>4 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनको स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के कारण उन्हें अत्यधिक विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं देने के कारण उनका मकान अवैध कालोनी में होना बताते हुए स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि उनके द्वारा जो प्लाट खरीदा गया था वह कृषि भूमि में था अतः अनावेदक द्वारा उन्हें बताया गया कि जब तक संबंधित अधिकारी से भूमि का डायर्वर्सन प्राप्त नहीं किया जाता तब तक उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।</p> <p>5 आवेदक द्वारा अपनी अपील में विद्युत शिकायत निवारण फोरम द्वारा दिये गये निर्देश को निरस्त कर स्थाई विद्युत कनेक्शन देने हेतु अनुरोध किया गया।</p> <p>6 अनावेदक द्वारा लिखित प्रतिउत्तर में बताया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 25.8.2016 को नवीन घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु आवेदन दिया था।</p> <p>7 आवेदक के पास कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तन की अनुमति नहीं होने के कारण कनिष्ठ यंत्री द्वारा उन्हें पत्र द्वारा उनके प्लाट को आवासीय भूमि में परिवर्तित हो जाने की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिससे कि उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जा सके। (ओई-1)</p> <p>8 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा उक्त प्लाट अब्दुल रईस वल्द रहमान से क्रय किया गया जो की ग्राम एमार्गिंद कृषि भूमि खसरा क्र. 501 / 1 क्षेत्रफल 0.581 हैक्टर है का एक भाग है, जिसका क्षेत्रफल 550 वर्गफीट है।</p>	

9 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि भूमि स्वामी द्वारा जानबूझकर अपनी भूमि का डायवर्सन एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की अनुमति एवं वाह्य विद्युतीकरण की कार्यवाही से बचने के लिए कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाट काट कर बेच दिये गये, परन्तु प्लाट बेचने से पूर्व कृषि भूमि का आवासीय भूमि हेतु परिवर्तन की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई।

10 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन देने से पूर्व भूमि का डायवर्सन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा भी अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि आवेदक द्वारा भूमि परिवर्तन के दस्तावेज/आदेश प्रस्तुत करने पर उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन दे दिया जाए।

11 तर्क के दौरान विद्युत लोकपाल द्वारा पूछने पर अनावेदक द्वारा बताया गया कि उक्त कृषि भूमि में लगभग 40 प्लाट काटे गये हैं जिसमें लगभग 25 मकान निर्मित हो चुके हैं तथा इनमें से कुछ लोगों द्वारा कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है तथा शेष अस्थाई कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया कि यदि आवेदक अपने प्लाट का आवासीय उपयोग में परिवर्तित होने के दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

12 आवेदक के अधिवक्ता को पूछने पर कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि आवेदक उनके प्लाट का आवासीय उपयोग में परिवर्तित होने के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, ताकि उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जा सके इस पर उनके द्वारा सहमति दी गई।

13 अतः अनावेदक को निर्देशित किया गया है कि आवेदक द्वारा अपने प्लाट की भूमि को कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित हो जाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करें।

अतः प्रकरण उपरोक्तानुसार निराकृत कर नस्तीबद्ध किया जाता है। फोरम के दस्तावेज वापिस हों।

विद्युत लोकपाल